भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4526

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

भीलवाड़ा में दो लेन वाली सड़क का चार लेन वाली सड़क में परिवर्तन

4526. श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए मानकों और नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) दो लेन वाली सड़क को चार लेन वाली सड़क में परिवर्तित करने के लिए मानक और नीति क्या है; और

(ग) क्या सरकार को भीलवाड़ा-शाहपुरा-जहाजपुर-देवली सड़क को दो लेन से चार लेन में परिवर्तित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके पूरा होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। राज्य राजमार्गों (एसएच) सहित राज्य की सड़कों को समय-समय पर सुस्थापित व्यापक सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाता है, जिनमें शामिल हैं: -

I. निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानी को राज्य की राजधानियों से जोड़ना/राज्य की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहों, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को परस्पर जोड़ने वाली सड़कें।
II. पहाड़ी एवं अलग-थलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सामरिक महत्व वाली सड़कें।
III. मुख्य सड़कें जो यात्रा की दूरी को कम करने और पर्याप्त आर्थिक विकास हासिल करने में सक्षम बनाती हैं।
IV. सड़कें जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के बड़े भू-भाग से जुड़ने में मदद करती हैं।
V. 100 किमी की राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।
VI. पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ अनुरूप सड़कें।

अधिसूचित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य, जिसमें क्षमता वृद्धि को चार/छह/आठ लेन के मानकों तक बढ़ाना शामिल है, यातायात सघनता, संपर्कता की आवश्यकता, सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता, निधियों की उपलब्धता और पीएम गतिशक्ति एनएमपी के साथ तालमेल के आधार पर किया जाता है।

(ग) वर्तमान में राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 10,733 किलोमीटर है। अप्रैल, 2014 से राजस्थान राज्य में राज्यीय राजमार्गों सहित लगभग 2,959 किलोमीटर लंबाई की राज्य सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है।

शाहपुरा से जहाजपुर (39 किमी) तक का सड़क खंड एनएच-148डी का हिस्सा है और वर्तमान में दो लेन का है। इस खंड को चार लेन का बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

वर्तमान में राजस्थान राज्य में भीलवाड़ा-शाहपुरा और जहाजपुर-देवली खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

*****